अध्याय 3: राज्य उत्पाद शुल्क

3.1.1 कर प्रबंध

सरकारी स्तर पर अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग प्रशासनिक मुखिया हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। ई.टी.सी. को मुख्यालय पर सहयोग क्लैक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबन्ध के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सीज (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा दिया जाता है।

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यत: विभिन्न बिक्रियों के लाईसैंस की प्रदानगी हेतु लाईसैंस फीस, डिस्टलरियों/ब्रेवरिज से निकाली गई और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट/बीयर पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

3.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2015-16 में राज्य आबकारी विभाग की 77 इकाइयों में से 38 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के साथ-साथ ''**राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियों**'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने 246 मामलों में ₹ 69.40 करोड़ से आवेष्टित उत्पाद शुल्क/लाईसेंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जैसा कि नीचे **तालिका 3.1** में तालिकाबद्ध है।

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाईसैंस फीस जमा न करवाना/कम जमा करवाना तथा ब्याज की हानि	155	3.3
2	बिक्रियों के पुन: आबंटन पर लाईसैंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न करना	4	3.2
3	पेनल्टी न लगाना	48	1.22
4	अवैध शराब पर पेनल्टी की अवसूली	32	0.09
5	विविध अनियमितताएं	6	0.94
6	''राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा'	1	60.56
	योग	**246**	**69.40**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 41 मामलों में आवेष्टित ₹ 62.37 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा त्रुटियां स्वीकार की जिनमें से 29 मामलों में आवेष्टित ₹ 62.30 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने ₹ 11.89 करोड़ वसूल किए जिनमें से ₹ 0.25 करोड़ वर्ष 2015-16 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

3.2 राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां

3.2.1 विशिष्टताएं

आबकारी एवं कराधान विभाग की शराब पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित कार्यचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा ने अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों की अननुपालना प्रकट की परिणामत: ₹ 60.56 करोड़ की राशि के आबकारी राजस्व का संग्रहण नहीं/कम संग्रहण हुआ। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नियमानुसार थे:

- 20 लाईसेंसधारियों से प्रतिभूति और अतिक्ति प्रतिभूति वसूल करने हेतु कार्यवाही के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 28 लाख जमा नहीं/कम जमा हुए।

(अनुच्छेद 3.2.7)

- लाईसेंस फीस के भुगतान में विलंब हेतु ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले नियमों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप खुदरा दुकानों के चूककर्ता लाईसेंसधारियों से ₹ 44.80 करोड़ की लाईसेंस फीस और ब्याज की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.2.8)

- मूल आबंटी की चूक के कारण खुदरा दुकानों के पुर्नावंटन से उत्पन्न अंतरीय लाईसेंस फीस वसूल करने में विफलता के साथ-साथ दुकानों की पुन:नीलामी में विफलता के कारण ₹ 5.19 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.2.9)

- विभाग त्रैमासिक आधारभूत कोटा कम/अधिक उठाने के कारण 466 चूककर्ता लाईसेंसधारियों से ₹ 7.09 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण और वसूल करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.2.10)

- शराब के गैर-कानूनी स्वामित्व और व्यापार के कारण 322 अपराधियों से ₹ 1.83 करोड़ की पेनल्टी का उद्ग्रहण और वसूल करने में विभाग विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.2.11)

- विभाग ने डिस्टिलरीज के प्रबंधन से नियुक्त आबकारी स्थापना के वेतन के कारण ₹ 1.65 करोड़ वसूल नहीं किए।

(अनुच्छेद 3.2.12)

3.2.2 प्रस्तावना

मानव खपत के लिए अल्कोहलिक शराब और अल्कोहल अथवा अफीम, भारतीय गांजा और नारकोटिक्स वाली औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री, पर उत्पाद शुल्क पंजाब आबकारी

अधिनियम, 1914 और उसके अधीन बनाए गए हरियाणा राज्य को यथा लागू नियमों[1] के अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है। उत्पाद शुल्क में, बोली धन और खुदरा तथा थोक की दुकानों की प्रदानगी के लिए वार्षिक लाईसेंस फीस, अवैध शराब को जब्त करने के लिए लगाए/आदेश दिए जुर्मानों और आयात/निर्यात शुल्क से प्राप्त प्राप्तियां शामिल होती है। इसमें भारत में बनी विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.)/देसी शराब (सी.एल.) के निर्माण, स्वामित्व और विक्रय से प्राप्त राजस्व भी शामिल होता है। हरियाणा शराब लाईसेंस नियम, 1970 (एच.एल.एल. नियम), आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. बेचने वाली खुदरा एवं थोक दुकानों की प्रदानगी के लिए लाईसेंस प्रक्रिया तथा रिजर्व मूल्य तथा लाइसेंस फीस नियतन निर्धारित करने के लिए सरकार को एक आबकारी नीति बनाने का अधिकार देते हैं।

3.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

शराब पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण संबंधी आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यचालन की समीक्षा के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारित करने हेतु थे कि:

- बजट अनुमान (बी.ई.ज) निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप तैयार किए गए थे तथा वास्तविक थे;
- राज्य आबकारी अधिनियम, नियमों तथा विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के प्रावधानों का अनुसरण किया गया था;
- राज्य आबकारी नीतियां, नियमों के अनुसार बनाई गई थी तथा राज्य आबकारी नीतियों के प्रावधानों के अनुपालन की सीमा; तथा
- एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण एवं मानीटरिंग यंत्रावली विभाग में विद्यमान थी।

3.2.4 कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

21 जिलों में से छ:[2] जिलों के संबंध में 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क, लाईसेंस फीस और पेनल्टीज के उद्ग्रहण, निर्धारण एवं संग्रहण संबंधित अभिलेखों की अक्तूबर 2015 और अप्रैल 2016 के मध्य नमूना-जांच की गई। ये छ: जिले प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साईज मेथड (विदाउट रियलेसमेंट) के आधार पर चयन किए गए थे। फरीदाबाद और गुड़गांव जिले जोखिम विश्लेषण के आधार पर चयन किए गए थे। भिवानी जिले को एंट्री कांफ्रेंस के दौरान विभाग द्वारा दिए गए सुझाव पर शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त, पांच डिस्टिलरीज का चयन भी किया गया था। वर्ष 2010-11 से 2014-15 की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अभ्युक्तियों को भी ध्यान में रखा गया है जहां समग्र निर्धारण सरल बनाने के लिए आवश्यक समझा गया।

---

[1] पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 (हरियाणा), पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932 (हरियाणा), पंजाब ब्रेवरी नियम, 1956 (हरियाणा) तथा एच.एल.एल. नियम।

[2] हिसार, जींद, करनाल, कुरूक्षेत्र, रोहतक तथा यमुनानगर।

6 नवंबर 2015 को ई.टी.सी., आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ एक एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मापदण्ड और जिलों के चयन के लिए अपनाई गई पद्धति स्पष्ट किए गए/पर चर्चा की गई और एग्जिट कांफ्रेंस बाद में 21 जुलाई 2016 को आयोजित की गई। विभाग के विचार रिपोर्ट में समुचित रूप से सम्मिलित किए गए हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप जुलाई 2016 में सरकार को अग्रेषित किया गया। उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (अक्तूबर 2016)।

लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित आवश्यक सूचना और अभिलेख उपलब्ध करवाने में आबकारी एवं कराधान विभाग के सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं।

3.2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न स्रोतों से लिए गए थे:

- पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914;
- पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 (हरियाणा);
- पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932 (हरियाणा);
- पंजाब ब्रेवरी नियम, 1956 (हरियाणा);
- हरियाणा शराब लाईसेंस नियम, 1970;
- हरियाणा पेनल्टी का लगाना और वसूली के नियम 2003; तथा
- 2010 – 11 में 2014 – 15 वर्षों के लिए राज्य आबकारी नीतियां।

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

प्रणाली की कमियां

3.2.6 उत्पाद शुल्क राजस्व की प्रवृत्ति

हरियाणा राज्य को यथा लागू, पंजाब बजट नियमावली (पी.बी.एम.) के अनुच्छेद 3.2 में प्रावधान है कि अनुमानों को अधिक वास्तविक बनाने के लिए आगामी वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमान (बी.ई.ज) अभी समाप्त वर्ष के बी.ई.ज, अभी समाप्त वर्ष से पूर्ववर्ती पहले दो वर्षों के वास्तविक, गत छः मास के लिए पिछले वर्ष के वास्तविक और पहले छः मास के लिए वर्तमान वर्ष के वास्तविक पर आधारित होने चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा पी.बी.एम. के अनुसार तैयार किए गए बी.ई.ज और विभाग द्वारा तैयार किए गए बी.ई.ज और वर्ष 2010 – 11 से 2014 – 15 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क (एस.ई.डी.) से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के विवरण नीचे तालिका 3.2.6 और ग्राफ 3.2 में दिए गए हैं:

तालिका 3.2.6: लेखापरीक्षा द्वारा पी.बी.एम. और विभाग के अनुसार तैयार बी.ईज और एस.ई.डी. से वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विविधताएं:

वर्ष	एस.ई.डी. के बी.ईज जिसके अनुसार तैयार किए गए (₹ करोड़ में)		वास्तविक एस.ई.डी. (₹ करोड़ में)	एस.ई.डी. तथा बी.ईज की तुलना में वृद्धि (+)/ कमी (-) जिसके अनुसार तैयार (₹ करोड़ में)		बी.ईज पर एस.ई.डी. की प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-) के अनुसार तैयार	
	पी.बी.एम.	विभाग		पी.बी.एम.	विभाग	पी.बी.एम.	विभाग
2010-11	2,317.00	2,100.00	2,365.81	(+) 48.81	(+) 265.81	(+) 2.11	12.66
2011-12	2,599.00	2,400.00	2,831.89	(+) 232.89	(+) 431.89	(+) 8.96	18.00
2012-13	3,025.00	3,000.00	3,236.48	(+) 211.48	(+) 236.48	(+) 6.99	7.88
2013-14	3,501.00	4,000.00	3,697.35	(+) 196.35	(-) 302.65	(+) 5.61	(-) 7.57
2014-15	3,485.00	4,350.00	3,470.45	(-) 14.55	(-) 879.55	(-) 0.42	(-) 20.22

विभाग द्वारा तैयार किए गए बी.ईज पर एस.ई.डी. की वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि वर्ष 2010 – 11 से 2012 – 13 के दौरान 7.88 और 18 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। बाद में, विभाग द्वारा तैयार किए गए बी.ईज पर एस.ए.डी. की वास्तविक प्राप्तियों में क्रमश: वर्ष 2013 – 14 और 2014 – 15 के दौरान 7.57 तथा 20.22 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित कमी थी।

ग्राफ 3.2

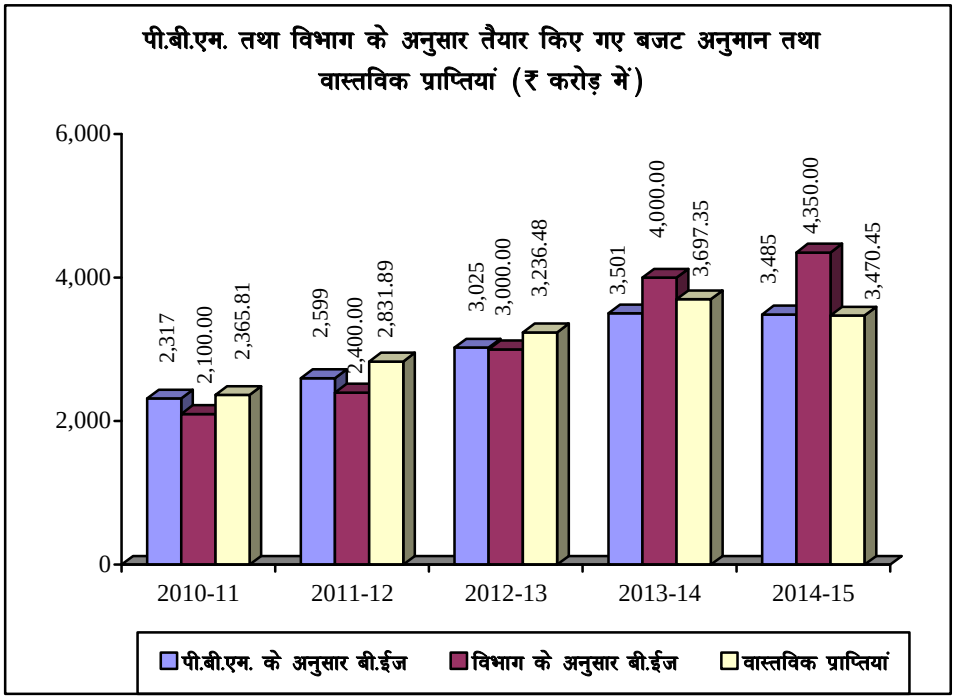

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि बी.ईज सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के आधार पर तैयार किए गए थे और विभाग वर्ष 2010 – 11 से 2012 – 13 के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक राजस्व संग्रहित करने में समर्थ था। बाद में, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मार्च 2014 में अपने निर्णय में निदेश दिए कि सभी दुकानें राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों से बाहर स्थानान्तरित कर दी जाएं। परिणामत: वर्ष 2013 – 14 और 2014 – 15 के दौरान एस.ई.डी. के संग्रहण में कमी थी।

तत्रैव, पी.बी.एम. के अनुच्छेद 3.2 में निहित अनुदेशों के अनुसार और सरकार द्वारा नियत लक्ष्यों के आधार पर तैयार एस.ई.डी. के बी.ई.ज के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने प्रकट किया कि एस.ई.डी. और बी.ई.ज की तुलना में एस.ई.डी. की वास्तविक प्राप्तियों के वृद्धि/कमी वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान (-) 20.22 तथा (+) 18.00 प्रतिशत की बजाय उसी अवधि में (-) 0.42 और (+) 8.96 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रही। यह इंगित करता है कि सरकार द्वारा प्रक्षेपित लक्ष्यों पर तैयार किए गए एस.ई.डी. के बी.ई.ज गलत थी। राजस्व संग्रहण की मानीटरिंग अधिक प्रभावी और सही रहती यदि ये पी.बी.एम. में निहित अनुदेशों के आधार पर तैयार किए जाते। इसके अतिरिक्त, बी.ई.ज की ऐसी परिशुद्धता से वर्ष का बजट अधिक सही और वास्तविक होता।

अनुपालन कमियां

3.2.7 प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति का जमा न करवाना/कम जमा करवाना

वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए राज्य आबकारी नीतियों के साथ पठित एच.एल.एल. नियमों के अंतर्गत खुदरा लाईसेंसधारी शराब की दुकान का प्रत्येक सफल आबंटी संबंधित वर्ष की 7 अप्रैल तक वार्षिक लाईसेंस फीस के 21/20 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा कराएगा। संबंधित वर्ष के दौरान, आबंटित/पुर्नाबंटित दुकानों या उनके समूहों के मामले में 10 प्रतिशत प्रतिभूति आबंटन के दिन जमा की जाएगी और शेष 11/10 प्रतिशत आबंटन के 10 दिनों के भीतर जमा की जाएगी। आगे, क्रमशः ₹ 75 लाख तक, ₹ 75 लाख से अधिक और ₹ 500 लाख तक और ₹ 500 लाख से अधिक की वार्षिक लाईसेंस फीस वाले खुदरा लाईसेंसधारी शराब की दुकान वालों द्वारा क्रमशः ₹ 1 लाख, ₹ 2 लाख और ₹ 5 लाख की अतिरिक्त प्रतिभूति का भुगतान किया जाना होता है।

डी.ई.टी.सीज (आबकारी) गुड़गांव, करनाल और महेंद्रगढ़ के वर्ष 2013-14 और 2014-15 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अप्रैल 2014 और अप्रैल 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि 20 खुदरा दुकानों के लाईसेंसधारियों द्वारा, जिनको ₹ 27.06 करोड़ के लिए नीलामी की गई थी, ने 7 अप्रैल की निर्धारित तिथि तक प्रतिभूति/अतिरिक्त प्रतिभूति की पूरी राशि जमा नहीं करवाई थी। आबंटियों ने ₹ 2.49 करोड़ की कुल प्रतिभूति/अतिरिक्त प्रतिभूति में से ₹ 2.21 करोड़ जमा करवाए; परिणामस्वरूप ₹ 28 लाख की प्रतिभूति/अतिरिक्त प्रतिभूति जमा नहीं/कम जमा करवाई गई।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) महेन्द्रगढ़ ने बताया (दिसंबर 2015) कि दो मामलों में ₹ 3.99 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी।

3.2.8 लाईसेंस फीस और ब्याज की अवसूली/कम वसूली

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए राज्य आबकारी नीतियों के साथ पठित एच.एल.एल. नियम निर्धारित करते हैं कि आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. बिक्रियों की खुदरा दुकानों के लिए लाईसेंस वाले प्रत्येक लाईसेंसधारी प्रत्येक मास की 20 तारीख तक लाईसेंस फीस की मासिक किश्त का भुगतान करेगा। ऐसे करने में विफलता उसे, प्रथम मास जिसमें लाईसेंस फीस देय थी, से लेकर किश्त या उसके किसी हिस्से के भुगतान तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर पर ब्याज अदा करने हेतु उत्तरदायी बना देगी। यदि लाईसेंसधारी मास के अंत तक ब्याज के साथ पूरी मासिक

किश्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाईसेंसप्राप्त खुदरा दुकान अगले मास के पहले दिन से चलना बंद हो जाएगी और संबंधित जिले के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणत: बंद की जाएगी। आडिट संवीक्षा ने इन नियमों की अननुपालना प्रकट की परिणामस्वरूप कुल ₹ 44.80 करोड़ के लाईसेंस फीस और ब्याज की कम वसूली हुई जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में संक्षेप में बताया गया है।

3.2.8.1 12 कार्यालयों[3] के वर्ष 2010 – 11 से 2014 – 15 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2012 और अप्रैल 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि लाईसेंसधारियों को आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के विक्रय के लिए 254 खुदरा दुकानें ₹ 293.22 करोड़ पर आबंटित की गई थी। लाईसेंसधारियों ने केवल ₹ 263.97 करोड़ की लाईसेंस फीस का भुगतान किया था और ₹ 29.25 करोड़ की शेष लाईसेंस फीस लाईसेंसधारियों द्वारा अभी जमा करवाई जानी थी। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने, मास के अंत तक पूर्ण मासिक किश्त के कम भुगतान पर दुकानें सील और लाईसेंस फीस के देरी से भुगतान पर ब्याज लगाने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की। इसके फलस्वरूप ₹ 29.25 करोड़ की लाईसेंस फीस की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 2.49 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

यह इंगित किए जाने पर, पांच डी.ई.टी.सीज[4] ने बताया (दिसंबर 2015 और मई 2016 के मध्य) कि 40 मामलों में ₹ 8.88 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई थी।

3.2.8.2 16 कार्यालयों[5] के वर्ष 2010 – 11 से 2014 – 15 के लिए अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2012 और अप्रैल 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि 625 लाईसेंसधारियों ने अप्रैल 2010 और दिसंबर 2014 के मध्य की अवधि के लिए ₹ 544.67 करोड़ की लाईसेंस फीस की मासिक किश्तों का भुगतान 21 से 435 दिनों की देरी के साथ किया। डी.ई.टी.सीज (आबकारी), ने तथापि, मास के अंत तक मासिक किश्तों का भुगतान न करने पर दुकानें सील करने और लाईसेंस फीस के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज उद्ग्रहण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.06 करोड़ के ब्याज[6] का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, 10 डी.ई.टी.सीज[7] (आबकारी) ने बताया (अप्रैल 2015 और मई 2016 के मध्य) कि सितंबर 2012 और अप्रैल 2016 के मध्य 86 मामलों में ₹ 2.13 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई थी।

---

3 अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, करनाल, महेन्द्रगढ़, पलवल, पंचकुला, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर।

4 फरीदाबाद, झज्जर, करनाल, महेन्द्रगढ़ तथा रोहतक।

5 अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, महेन्द्रगढ़, पलवल, पंचकुला, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर।

6 31 मार्च 2016 तक परिकलित ब्याज।

7 भिवानी, फतेहाबाद, गुड़गांव, झज्जर, जींद, कैथल, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक तथा यमुनानगर।

3.2.9 पुनर्निलामी पर अंतरीय लाईसेंस फीस की अवसूली

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए राज्य आबकारी नीतियों के साथ पठित एच.एल.एल. नियमों के अंतर्गत, यदि आबंटी प्रतिभूति जमा का भुगतान करने में विफल रहता है और ब्याज के साथ लाईसेंस फीस के भुगतान में चूक करता है, लाईसेंसशुदा दुकान अगले मास के प्रथम दिन से बंद हो जाएगी और डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ई.टी.सी. की पूर्व अनुमति लेने के बाद मूल आवंटी के जोखिम और लागत पर इसका पुन: आबंटन कर सकता है। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने इन निर्धारण की अननुपालना प्रकट की परिणामस्वरूप ₹ 5.19 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

3.2.9.1 डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों[8] के वर्ष 2010-11 से 2011-12 और 2013-14 से 2014-15 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2012 और मार्च 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि मार्च 2010 और मार्च 2014 के मध्य 18 खुदरा दुकानों की नीलामी ₹ 16.33 करोड़ में की गई। आबंटी, तथापि, देय तिथि तक लाईसेंस फीस की

पूरी मासिक किश्तों का भुगतान करने में विफल रहे। ₹ 16.33 करोड़ की कुल लाईसेंस फीस में से, आबंटियों ने ₹ 7.19 करोड़ की प्रतिभूति और मासिक लाईसेंस फीस जमा करवाई और ₹ 9.14 करोड़ की शेष राशि जमा करवाने में विफल रहे। जबकि विभाग ने उनकी खुदरा दुकानों को रद्द कर दिया और बाद में शेष अवधि के लिए मूल आबंटियों के जोखिम और लागत पर

₹ 4.70 करोड़ पर अगस्त 2010 और दिसंबर 2014 के मध्य पुन: नीलामी/आबंटित कर दी, यह मूल आबंटियों से ₹ 4.44 करोड़ (₹ 9.14 करोड़-₹ 4.70 करोड़) की लाईसेंस फीस की अंतरीय राशि को वसूल करने के लिए कार्यवाही करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.44 करोड़ के सरकारी राजस्व की अवसूली हुई।

3.2.9.2 डी.ई.टी.सीज (आबकारी) हिसार और करनाल के वर्ष 2013-14 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने (मई और जुलाई 2014 के मध्य) प्रकट किया कि मार्च 2013 में दो खुदरा दुकानों की ₹ 3.42 करोड़ की वार्षिक लाईसेंस फीस पर नीलामी की गई। खुदरा दुकानों के लाईसेंसधारी पूरी लाईसेंस फीस की मासिक किश्तों का देय तिथि तक भुगतान करने में विफल रहे। ₹ 3.42 करोड़ की कुल लाईसेंस फीस में से आबंटियों ने अक्तूबर और नवंबर 2013 तक ₹ 2.67 करोड़ तक की मासिक लाईसेंस फीस जमा करवाई। विभाग ने, तथापि, न तो मूल आबंटियों के जोखिम और लागत पर दुकानों की पुन: नीलामी करने के लिए कार्यवाही की न ही आबंटियों से ₹ 75.12 लाख की लाईसेंस फीस वसूल करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 75.12 लाख तक के सरकारी राजस्व की अवसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) हिसार और करनाल ने बताया (दिसंबर 2015) कि ₹ 38.78 लाख की राशि लाईसेंसधारियों की प्रतिभूति राशि से समायोजित कर ली गई थी।

---

[8] भिवानी, झज्जर, करनाल, पलवल तथा सोनीपत।

3.2.10 त्रैमासिक मूलभूत कोटा के कम/अधिक उठाने पर पेनल्टी/अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का अनुद्ग्रहण

शराब के स्राव को रोकने तथा राजस्व के बचाव के लिए वर्ष 2013 – 14 और 2014 – 15 के लिए राज्य आबकारी नीति के साथ पठित एच.एल.एल. नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत मूलभूत कोटा उठाना निर्धारित किया गया है। एक लाईसेंसधारी निर्धारित त्रैमासिक सारणी के अंतर्गत उसकी दुकान के लिए आबंटित आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. का समग्र मूल कोटा उठाने के लिए उत्तरदायी है जिसमें विफल रहने पर दंड के प्रावधानों का आह्वान किया जाता है। निर्धारित त्रैमासिक कोटा का न उठाना कम मात्रा के लिए क्रमश: आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के लिए ₹ 65 और ₹ 20 प्रति प्रूफ लीटर (पी.एल.) की दर पर पेनल्टी आकर्षित करता है। आगे, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दुकानों के आबंटन के मामले में वर्ष की शेष तिमाहियों के लिए त्रैमासिक कोटा आबंटित कोटा से अनुपातिक आधार पर परिकलित किया जाएगा। निर्धारित त्रैमासिक कोटा का अधिक उठाया जाना अधिक मात्रा के लिए क्रमश: आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के लिए ₹ 20 और ₹ 8 प्रति पी.एल. प्रूफ की दर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आकर्षित करता है। इन निर्धारणों की अननुपालना के फलस्वरूप ₹ 7.09 करोड़ की राशि की पेनल्टी और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ जैसा कि नीचे प्रकट किया गया है।

3.2.10.1 डी.ई.टी.सीज (आबकारी) के 11 कार्यालयों[9] के वर्ष 2013 – 14 और 2014 – 15 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2014 और अप्रैल 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि 227 खुदरा दुकान लाईसेंसधारियों द्वारा आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के 47.41 लाख पी.एल का संयुक्त कोटा उठाया जाना अपेक्षित था। तथापि, लाईसेंसधारियों ने संयुक्त कोटे के विरूद्ध आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के 36.01 लाख पी.एलज उठाए। इस प्रकार, लाईसेंसधारियों ने आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के मूल कोटे का 11.40 लाख पी.एल्ज कम उठाया। तथापि, डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने कोटे के कम उठाए जाने के लिए पेनल्टी लगाने की कार्यवाही नहीं की थी परिणामस्वरूप ₹ 4.23 करोड़ की पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) फतेहाबाद ने बताया (मई 2016) कि ₹ 7.86 लाख की पेनल्टी पांच मामलों में वसूल कर ली गई थी।

3.2.10.2 डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों[10] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च और अप्रैल 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि चालू वर्ष 2014 – 15 के दौरान 239 खुदरा दुकानों के लाईसेंसधारियों ने आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के 25.37 लाख पी.एल्ज के संयुक्त शराब कोटा के विरूद्ध आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के 47.65 लाख पी.एल. उठाए थे। इस प्रकार, लाईसेंसधारियों ने आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के मूल कोटे से 22.28 लाख पी.एलज अधिक उठाए। तथापि, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने अधिक कोटा उठाने हेतु अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की परिणामत: ₹ 2.86 करोड़ के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ।

---

[9] भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, करनाल, कुरूक्षेत्र, पंचकुला, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर।

[10] भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी तथा सोनीपत।

3.2.11 शराब के अवैध स्वामित्व और व्यापार के लिए पेनलटी की अवसूली/अनुद्ग्रहण

पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 जैसा कि हरियाणा राज्य को लागू, की धारा 61 (1) (एएए) (सी)(i) में प्रावधान है कि अवैध शराब[11] के स्वामित्व के लिए दोषी 750 मिलीलीटर की बोतल पर जो ₹ 50 से कम न हो और ₹ 500 प्रति बोतल से अधिक न हो की पेनल्टी उद्ग्रहणीय है। आगे, हरियाणा पेनल्टी लगाना तथा वसूली नियम, 2003 में प्रावधान है कि यदि पेनल्टी का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता तो कलैक्टर अथवा डी.ई.टी.सी. (आबकारी) शराब के साथ परिवहन के साधन की जब्ती हेतु आदेश पारित करेगा और जब्ती के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिवहन के साधन की नीलामी की जाएगी। फिर, इन निर्धारणों की अननुपालना के फलस्वरूप ₹ 1.83 करोड़ की निम्नानुसार अवसूली हुई।

3.2.11.1 डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के सात[12] कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2010-11 से 2011-12 और 2013-14 से 2014-15 के लिए लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2014 और मार्च 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि विभाग ने 139 मामलों में अप्रैल 2010 और मार्च 2015 के मध्य अवैध शराब की 85,191 बोतलें पकड़ी गई थी और डी.ई.टी.सी. (आबकारी) फतेहाबाद, हिसार और कुरूक्षेत्र में 12 वाहन जब्त किए थे। विभाग ने नोटिस देने और उसके संबंधित दोषी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण की जांच करके, ₹ 1.48 करोड़ की पेनल्टी लगाई परंतु केवल ₹ 4.19 लाख वसूल किए। विभाग ने एक से छ: वर्षों के समापन के बाद भी जब्त वाहनों की नीलामी करने या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने हेतु शेष पेनल्टी वसूल करने के लिए कार्यवाही नहीं की थी। नियमों के अननुपालन के फलस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ की पेनल्टी की अवसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) जींद ने बताया (जनवरी 2016) कि एक मामले में ₹ 90,000 की राशि वसूल कर ली गई थी।

3.2.11.2 डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के आठ[13] कार्यालयों के वर्ष 2013-14 और 2014-15 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने (जुलाई 2015 और अप्रैल 2016 के मध्य) प्रकट किया कि विभाग ने जुलाई 2013 और मार्च 2015 के मध्य 183 मामलों में अवैध शराब की 77,729 बोतलें पकड़ी थी और छ: जिलों में[14] 36 वाहन जब्त किए थे। विभाग ने न तो न्यूनतम पेनल्टी लगाई और न ही जब्त वाहनों के निपटान द्वारा पेनल्टी वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.86 लाख की न्यूनतम पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।

---

11 अवैध शराब का अर्थ है किसी गुणवत्ता नियंत्रण जांच के बिना गैर-कानूनी ढंग से तैयार की गई शराब जो अनुमत सीमा से अधिक मादक केंद्रीकरण के कारण मानवीय खपत हेतु उपयुक्त नहीं है।

12 भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कुरूक्षेत्र तथा सोनीपत।

13 अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, करनाल, रोहतक तथा यमुनानगर।

14 फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, करनाल तथा यमुनानगर।

3.2.12 स्थापना प्रभारों की अवसूली

पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 (हरियाणा) के नियम 13 और 16 के अधीन एक लाईसेंसधारी नियमों के उचित अनुपालना और निगरानी सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अपनी डिस्टिलरी में सरकारी आबकारी स्थापना की नियुक्ति की सहमति देगा। लाईसेंसधारी, यदि आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो, सरकारी कोष में इतना भुगतान करेगा जितना डिस्टिलरी में नियुक्त सरकारी आबकारी स्थापना के वेतनों हेतु मांग की जाए परंतु वह ऐसे स्थापना के किसी सदस्य को सीधे भुगतान नहीं करेगा। आगे, क्रमश: 2010 – 12 और 2012 – 15 वर्षों के लिए राज्य आबकारी नीतियों के कलॉज 3.9 और 8.9 के अंतर्गत किसी भी लाईसेंसधारी के परिसर/संकाय में नियुक्त पर्यवेक्षक स्टाफ की वेतन लागत त्रैमासिक प्रतिपूर्ति आधार पर वसूल की जाएगी।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों[15] के वर्ष 2010 – 11 से 2014 – 15 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अक्तूबर 2015 और मार्च 2016 के मध्य) ने प्रकट किया कि विभाग ने पांच डिस्टिलरीज में 40 आबकारी पर्यवेक्षण स्टाफ नियुक्त किए थे। नियमों का उचित अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त सरकारी आबकारी स्थापना हेतु वर्ष 2010 – 11 से 2014 – 15 के लिए देय कुल ₹ 1.65 करोड़ के स्थापना प्रभारों की, तथापि, न तो विभाग द्वारा मांग की गई थी और न ही इन डिस्टिलरियों के प्रबंधन द्वारा भुगतान किए गए थे। नियमों का अनुसरण न करने के फलस्वरूप ₹ 1.65 करोड़ के स्थापन प्रभारों की अवसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, अधिकारी प्रभारी ने बताया (अक्तूबर 2015) कि एक डिस्टिलरी पर तैनात स्टाफ के लिए ₹ 9.05 लाख की राशि वसूल की गई थी।

3.2.13 आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली

3.2.13.1 अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण और मानीटरिंग

एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली रखने हेतु विभाग डी.ई.टी.सीज (आबकारी) और डिस्टिलरीज और ब्रेवरीज के प्रबंधन द्वारा प्रत्येक मास ई.टी.सी. को प्रस्तुत की जाने वाली 14 स्टेटमेंट/विवरणियां निर्धारित करता है।

ई.टी.सी, हरियाणा के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जबकि राज्य में डी.ई.टी.सीज (आबकारी) कार्यालयों, डिस्टिलरियों और ब्रेवरियों के कार्यचालन संबंध में निर्धारित मासिक स्टेटमेंट/विवरणियां समय पर प्राप्त की गई थी, देय और प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों की वर्षवार और जिलावार प्रमात्रा के साथ सूचना ई.टी.सी. कार्यालय में समेकित नहीं की गई थी जिससे निगरानी आसान हो सकती थी। आगे, विभाग 1 अप्रैल 2010 और 31 मार्च 2015 को राजस्व के बकायों के विवरण उपलब्ध करवाने में विफल रहा। तथापि, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के सात कार्यालयों[16] से संगृहीत राजस्व के बकायों के विवरणों ने प्रकट किया कि 31 मार्च 2015 को 1,280 मामलों में ₹ 108.16 करोड़ वसूलनीय थे। विभाग राजस्व के बकायों को वसूल करने के लिए संयुक्त प्रयास करने में विफल रहा जो एक से 46 वर्षों के मध्य श्रृंखलित वर्षों

[15] फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल तथा यमुनानगर।

[16] भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, रोहतक तथा यमुनानगर।

के लिए बकाया थे। विभाग ने इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए न तो कार्यवाही की थी और न ही ऐसे बकायों, जिनकी वसूली की कोई संभावना नहीं थी, को बट्टे खाते डालने के लिए कोई कदम उठाए।

विभाग ने लेखापरीक्षा को सूचना दी (जुलाई 2016) कि प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए एक मोड्यूल विकासाधीन था और जल्दी कार्यान्वित किया जाएगा।

3.2.13.2 आंतरिक लेखापरीक्षा का अपर्याप्त कवरेज

आंतरिक लेखापरीक्षा स्वयं को आश्वस्त करने हेतु कि निर्धारित प्रणालियां सही ढंग से कार्य कर रही हैं, प्रबंधन के हाथों में एक यंत्र है। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने अप्रैल 2010 और मार्च 2015 के मध्य 105 फील्ड कार्यालयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई थी परंतु उस अवधि में 61 फील्ड कार्यालयों (58 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गई। इस प्रकार 31 मार्च 2016 को शेष 44 फील्ड कार्यालयों (42 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा लंबित थी जो घटिया योजना को इंगित करती है। आगे, आडिट नोटस न तो उपलब्ध करवाए गए और न ही उठाई गई एवं निपटान की गई आपत्तियों के विवरण मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए। यह स्पष्ट था कि उत्पाद शुल्क, फीस, पेनल्टी इत्यादि के उद्ग्रहण और संग्रहण में भूलों का समय पर पता लगानें और सुधारों को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा यंत्रावलियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी।

3.2.14 निष्कर्ष

राज्य उत्पाद शुल्क राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसमें राज्य सरकार के कुल कर राजस्व का 14 प्रतिशत सम्मिलित है। अत: राज्य संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रभावी संग्रहण के अर्थपूर्ण तात्पर्य हैं। अधिक वास्तविक बजट प्रक्षेपणों को तैयार करना संग्रहण प्रयासों और बेहतर परिणामों की प्रभावी मानीटरिंग को सुगम बनाएगी और अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन और प्रवर्तन राजस्व में वृद्धि करेगा। प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों को अधिक कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता और ज्यादा प्रभावी मानीटरिंग रिपोर्ट में दर्शाए व्याख्यात्मक उदाहरणों में ₹ 60.56 करोड़ की अवसूली/कम वसूली से प्रमाणित होती है। राजस्व की हानि या स्राव आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा यंत्रावलियों को सुदृढ़ करके न्यूनतम किया जा सकता है।

3.2.15 सिफारिशें

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार:

- सभी राजस्व प्राधिकारियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करे;
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले आबंटियों से लाईसेंस फीस, ब्याज, पेनल्टी एवं अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वसूल करने के लिए यंत्रावलिया सुदृढ़ करे; तथा
- अधिक कवरेज और प्रभावकारिता के लिए आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा यंत्रावलियों को सुदृढ़ करे।